International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 03, No. 03(III), July - September, 2021, pp.210-216

केन्द्र–राज्य संबंधः (1990–2014) (गठबंधन सरकारों के सदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन)

सुशील कुमार बसवाल*

सार

1947 से आजाद भारत ने कनाड़ा से परिसंघीय प्रणाली को अपनाकर भारतीय विविधता के मध्य रोपित करने का प्रयास किया लेकिन एकता और सुरक्षा को दृष्टि में रखकर संविधान निर्माताओं ने संघ को राज्य पर वरियता दे दी संविधान में ऐसे उपबन्ध बनाये गये जिन्होने संघ की सर्वोपरियता सिद्ध कर दी। 1950 से 1990 तक अधिकतर एक दल विशेष (कांग्रेस) का केन्द्र एवं राज्यों में वर्चस्व रहा तब सब ठीक लग रहा था जैसे ही 90 दशक में गठबंधन सरकारों का दौर आया नयी–नयी पेचीदगीयाँ भी केन्द्र राज्य सम्बन्धों में परिलक्षित होने लगी, ये वित्तीय प्रशासनिक विधायी मामलों की पेचीदगीयों ने देश की विकास में बाधा उत्पन्न कर दी।

शब्दकोशः *परिसंघ, नियोजन, अलोकतांत्रिक, दलीय समरूपता, संघवाद, शक्ति विभाजन, विधानमण्डल।*

परिचय

भारत में आधुनिक संघवाद का सूत्रपात 1861 में हुआ। 1935 के अधिनियम के द्वारा जो ढाँचा प्रस्तुत किया गया था। उसके श्रेष्ठतम अंशो को भारतीय संविधान निर्माताओ ने आत्मासात कर लिया ।

भारतीय संघात्मक व्यवस्था का प्रमुख लक्षण केन्द्र तथा राज्यो के मध्य शक्तियो का वितरण है। संविधान में केन्द्र तथा राज्य संबंधों का आरम्भ इस तथ्य से होता है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को औपचारिक रूप से संघीय राज्य नहीं बताया गया है। भारत को "राज्यो का संघ" कहा गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी. आर. अम्बेडकर इस शब्दावली के संदर्भ में कहते है कि .....राज्यो का संघ शब्द का प्रयोग जानबुझकर किया गया है। फिर भी किसी राज्य (इकाई) को इससे पृथक होने का अधिकार नहीं है क्योंकि संघीय स्वरूप परस्पर समझौते का परिणाम नहीं है।

भारतीय संविधान में परिसंघीय प्रणाली को अपनाया गया है। वहाँ संघ तथा राज्य दोनो ही संविधान से अधिकार प्राप्त करते है तथा संविधान द्वारा मर्यादित होते है। भारतीय संविधान संघ तथा राज्यों के मध्य न्यायिक शक्तियों के अलावा विद्यायी, वित्तिय, कार्यपालिका शक्ति का विभाजन करता है। हालाकि संविधान निर्माताओं ने देश की एकता, अखण्डता की सुरक्षा तथा निर्माण के लिए संघ को अधिक शक्तिशाली बनाया। तथा कनाडा से प्राप्त (ग्रहण) संघीय प्रणाली को भारतीय परिवेश के अनुकूल बनाकर उसे नूतन स्वरूप प्रदान किया गया है।

वस्तुत कोई भी राज्य या संघीय देश आज यह दावा नहीं कर सकता है कि वहाँ केन्द्र राज्य संबंध सामान्य या मतभेदो की समस्या से पूर्णतः मुक्त है आज इसे "तनावों का संस्थाकरण" करने वाली व्यवस्था भी कहा जा सकता है। हालाकि इसमें किसी देश की स्थायी शांति भी भंग हो सकती है जो उसके स्वभाविक विकास के लिए परम आवश्यक है।

संविधान के भाग 11 के प्रथम अध्याय में अनु. 245 से 255 तक संघ तथा राज्यों के विद्यायी संबंध का उल्लेख किया गया है। इन संबंधों का संचालन तीन सूचियों के आधार पर होता है। जिन्हे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, के नाम से जाना जाता है।

---

[6] सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय, सिकराय, दौसा, राजस्थान।

संघ सूची जिसमें रक्षा, वैदशिक मामले, युद्ध व सन्धि, बैंक, बीमा, खाने, देशीयकरण, नागरिकता, मुद्रा, डाक–तार, आदि 100 विषय उल्लेखित है जिन पर कानून बनाने का अधिकार संसद की प्राप्त है। राज्य सूची जिसमें लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू–राजस्व, लोक व्यवस्था, न्याय जेल आदि 59 विषय है जिनमें कानून बनाने का अधिकार राज्यों को प्राप्त विषय है। समवर्ती सूची जिसमें दण्ड विधि, दण्ड प्रक्रिया, स्टाम्प डयूटी, बिजली, श्रम कल्याण, समाचार पत्र अपराधिक कानून आदि 52 विषय उल्लेखित है। जिन पर केन्द्र व राज्य दोनो विद्यान बना सकते है। किसी विवाद की स्थिति में केन्द्र का कानून ही मान्य माना जाएगा।संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार जो विषय तीनो सूचियों में शामिल नहीं है। उन पर कानून बनाने का एकमात्र प्राधिकार संसद को प्रदान किया गया है।

1947 के बाद भारतीय राजनीति तथा केन्द्र व राज्यो संघ मध्य अनेक उतार – चढाव आये सहयोग तथा सौहार्द्र, भारतीय संघ व्यवस्था की विशेषता आरम्भिक काल में रहीं थी। लेकिन विगत 5 दशको का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है। कि जब तक केन्द्र तथा राज्यों में एक दल की सरकार रही दोनो के संबंध अपेक्षाकृत मधुरता पूर्ण रहें। लेकिन 1990 के बाद गठबंधन की राजनीति के हावी होने पर तथा कांग्रेस के पतन के साथ दोनो के आपसी संबंध अधिक अस्पष्ट तथा विरोधाभासी हो गये। राज्यपालों ने केन्द्र के ऐजेंट के रूप में कार्य करके राज्यों को संघ के प्रति अधिक संवेदनशील तथा उग्र बनाने में अपनी नकारात्मक भूमिका को प्रस्तुत किया है। उदाहरण के तौर पर 1984 में आंध्र–प्रदेश के तत्कालिक राज्यपाल रामलाल ने एन. टी. रामाराव की तेलगू देश सरकार को विद्यानमण्डल में बहुमत होते हुए भी बर्खास्त कर संघ व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया।

राज्यों पर संघ की वरीयता एवं नियंत्रण की विधियाँ

राज्य सूची के विषयों पर संसद को विद्यान निर्माण का अधिकार (The Right of Paliment to State List)

अनुच्छेद 249 राज्य सभा अपनी उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दें कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बनायें। राज्य सभा ने इस शक्ति का प्रयोग अभी तक केवल एक बार 1950 में किया है।

अनुच्छेद 250 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किये जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 253 के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय संधियों तथा समझौतो को लागू करने के लिए, संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, चाहे वह राज्य सूची का विषय क्यों न हो ।

अनुच्छेद 252 जब दो या दो से अधिक राज्यों के विधान मण्डल प्रस्ताव पारित करके संसद से यह अनुरोध करे तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 356 के समय राष्ट्रपति राज्य विधानमण्डल के समस्त अधिकार संसद को प्रदान करता है।

अनुच्छेद 304 (ख) जिसमें कुछ राज्य विधानमण्डल विधेयक राष्ट्रपति के विचार तथा पूर्व स्वीकृति के लिए रखे जाते है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण एवं सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 274 (1) ऐसे करो को प्रभावित करने वाला विधेयक जिनसे राज्य हित संबंधित है।

इसी कारण राज्यों द्वारा यह शिकायत की गई है कि केन्द्र उद्योग व्यापार एवं वाणिज्य जैसे विषयों पर कानून बनाने लग गया है। जबकि ये विषय राज्य सूची में वर्णित है उदाहरणार्थ 1951 में संसद ने उद्योग विकास एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया। जिससे राज्य में वर्णित 24,26 तथा 27 विषयों पर केन्द्र का अधिकार स्थापित हो गया। इसी संदर्भ में के. वी. राव ने ठीक कहा है कि राज्य सूची में वर्णित विषय कितने संदिग्ध और अस्पष्ट है ।

लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में सबसे कठिन समस्या केन्द्र राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को समायोजित करना है। संविधान – निर्माताओ ने इस संबंध में विस्तृत उपबन्धों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया। संविधान के ग्यारहवें भाग के दूसरे अध्याय में केन्द्र तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 73 में केन्द्र की प्रशासनिक शक्ति के बारे में तथा अनुच्छेद 162 में राज्यों की प्रशासनिक शक्तियों का उल्लेख किया गया है।

राष्ट्रपति राज्यों की सरकारों अथवा उसके पदाधिकारियों को अपने ऐजेन्ट के रूप में कोई भी कार्य करने की जिम्मेदारी सौंप सकता है। संसद को यह अधिकार है कि अन्तर्राज्यीय नदियों के बँटवारे से उत्पन्न विवाद को निपटाने के लिए उचित कानून बनाए। वह नदी – घाटी, परियोजना, पानी के इस्तेमाल वितरण या नियंत्रण विवाद के सिलसिले के मध्यस्थता की व्यवस्था कर सकती है। संविधान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह एक अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना करे। जिसका प्रमुख कार्य राज्यों के मध्य उठे विवादों की जॉच करना तथा सलाह देना है। सविधान के अनुच्छेद 312 में उल्लेखित अखिल भारतीय सेंवाएँ भी संघ द्वारा राज्यों पर नियंत्रण के लिए उपयोग में लाई जाती है।

राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होने के कारण वह केन्द्र के ऐजेन्ट के रूप में कार्य करता है। इन सब कार्यों के परिपेक्ष्य में **हक्की व शर्मा की दलील** है कि संघीय प्रशासनिक संबंधो में क्रिया के कारण राज्यों की स्वायन्ता में इतनी कमी आ गई है कि संघीय राज्यतंत्र के सहकारी स्वरूप पर आघात पहुँचा है अतः राज्यों को अपने क्षेत्र में स्वतंत्र छोडने की प्रवृति का पालन संघ द्वारा पूर्ण ईमानदारी से किया जाना अति आवश्यक है। जिससें आपसी संबंधो में अधिक समरसता उद्‌गारिता हो सकें।

केन्द्र राज्य संबंधों की मधुरता के लिए आवश्यक संदर्भ

संघात्मक प्रणाली की सफलता का लिए आवश्यक है कि केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय संसाधन पर्याप्त हो, जिससे संविधान द्वारा आरोपित अपने–2 उत्तरदायित्वों का पालन तथा संचालन उचित तरिके से हो सके । केन्द्र तथा राज्य के मध्य राजस्व का वितरण भारत सरकार अधिनियम 1935 की पद्धति से किया गया है। अनुच्छेद 265 यह उपबन्धित करता है। विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर अधिरोपित या संग्रहित नहीं किया जाएगा। तथा अनुच्छेद 268 संघ तथा राज्यों के मध्य राजस्वों का वितरण करने की व्यवस्था करता है।

अनुच्छेद 268 के अनुसार संघ सूची में वर्णित 'स्टाम्प शुल्क, औषधिय शुल्क, प्रसाधनीय सामग्री, पर उत्पादन शुल्क संघ सरकार द्वारा लगाया जाएगा तथा राज्य द्वारा संग्रहित किये जाऐगें तथा राज्यों को सौंपे जाऐगें।

अनुच्छेद 270 के अनुसार कृषि आय से भिन्न अन्य आय पर भारत सरकार कर लगायेगी और वसूल करेगी तथा खण्ड (2) के अनुसार संघ तथा राज्यों के बीच वितरित कर दिये जाऐगें।

अनुच्छेद 273 पटसन (जूट) से निर्मित वस्तुओं पर नियति शुल्क से आने वाली कुल राशि के किसी भाग को असम, उडीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा।

अनुच्छेद 275 संसद राज्यों में अनुसूचित और आदिम जनजातियों के कल्याण में प्रशासन स्तर की उन्नति के प्रयोजन से अनुदान करेगी। उदाहरण के लिए असम राज्य, इसी तरह **अनुच्छेद 282** भी संघ तथा राज्य दोनो को शिक्षण तथा अस्पतालों के अनुदान का प्रावधान करता है। राज्यों द्वारा संघ की सम्पति पर तब तक कर नहीं लगाया जा सकता है। जब तक संसद विधि द्वारा कोई प्रावधान न कर दे।

केन्द्र राज्य के मध्य कतिपय तनाव के क्षेत्र है।

भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से होती है। यह समस्त आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। संघ सरकार द्वारा इसके माध्यम से भी राज्यों पर नियंत्रण रखा जाता है। एवं अनुच्छेद 360 के समय जब वित्तिय आपात होता है संघ सरकार राज्यों के वित्तिय संसाधनों तथा नीतियों को अपने हाथों में ले सकती है। अतः इसमें पारदर्शिता होना अत्यावश्यक है। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण से राज्य सेवाओं का विस्तार रूक जाता है तथा स्थानीय लोगों के उच्च सेवाओं में आने के अवसर कम हो जाता है। तथा अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों के वेतन स्तर उच्च होते है। जिसमें राज्य की वित्तीय स्थिति भी प्रभावित होती है। जब राष्ट्रीय सम्पत्ति की रक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को कतिपय राज्यों (केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में लगाया तो इसके फलस्वरू केन्द्र राज्यों के आपसी संबंधों में कटुता आयेगी।

राज्यों द्वारा केन्द्र पर यह आरोप है कि वित्तीय संसाधनों का वितरण वित्त आयोग करता है जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है जिसमें राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। वित्त आयोग के अनुदान तथा सहायतों को अपर्याप्त मानते हुए केन्द्र पर पक्षपात करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। जिसका अनुमान इस बात लगाया जा सकता है। कि राज्य सरकारों का कुल कर्ज 1999–2000 के मध्य 409258 करोड का था।

आर्थिक नियोजन के संदर्भ में भी दोनों के मध्य मतभेद है। चूंकि प्रत्येक राज्य की समस्या अलग–अलग है अतः सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। योजना प्रारूप का अंतिम निर्णय संसद के हाथों में है। राज्यों के पास अपना योजना बोर्ड नहीं है जो राज्यों कि योजनाओं को तकनीकि दृष्टि से निश्चित कर सकता है।

राज्यों यह आरोप है कि 1980 के बाद से केन्द्र सरकारों की आलोचना को दबाने के लिए मीडिया का व्यवस्थित ठंग से इस्तमाल हुआ है। इस दौरान सरकारी प्रसार माध्यमों में विपक्ष की उपेक्षा ही नही की गई बल्कि उस पर अनुचित आरोप भी लगाये गये है। 1983 के श्रीनगर सम्मेलन में सरकारी मीडिया के पक्षपात पूर्ण रवैया की आलोचना राज्यों द्वारा की गई ।

केन्द्र राज्यों के मध्य संबंधों में सुधार की दिशा में उठाये गये कदम

प्रशासनिक सुधार आयोग जिसका गठन एम0 सी0 सितलवाडा की अध्यक्षता में 1966 मे किया गया । उन्होंने कहा कि बिना संविधान में संशोधन करके राज्यों को व्यवस्था प्रदान कि जायेगी।

तमिलनाडु सरकार द्वारा 1969 में वी0पी0 राजमन्नार की अध्यक्षता में गठित समीतियों ने कहा कि अवशिष्ट विषयों को या तो समाप्त किया जाए या राज्यों को सौंपा जाए। तथा अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए। व अन्तर्राज्यीय परिषदों का गठन किया जाए।

1971 में गठित भगवान सहाय समिति ने राज्यपालो तथा मुख्यमंत्रियों के संबंध में सिफारिश की थी।

- **सरकारिया आयोग** – 24 मार्च 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया जिसने 1600 पृष्ठों का अपना प्रतिवेदन 1948 में सरकार को सौंपा।
  - संवैधानिक तंत्र विफलता पर राष्ट्रपति शासन राज्यों के विशेष अनुरोध पर ही लगाया जाए।
  - निगम कर के संबंध में आवश्यक संविधान संशोधन किया जाए।
  - केन्द्रीय सुरक्षा बलो की तैनादगी का संघ को पूर्ण अधिकार होना चाहिए।
  - राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदलकर उसका नाम राष्ट्रीय व आर्थिक विकास परिषद करना चाहिए।
  - त्रि भाषा सूत्र को अपनाया जाए तथा जल्दी ही प्रभावी किया जाना चाहिए।

  इस प्रकार 247 सिफारिशो में से संघ ने 179 को लागू कर दिया तथा 63 को रदद कर दिया।
- **पंछी आयोग (2007 – 2010) की रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिन्दु**
  - केन्द्र राज्य संबंधों की हाल में प्रचलित व्यवस्थाओं की बारीकी से छानबीन तथा पुर्नविचार करना तथा इनके संदर्भ में उपयुक्त बदलाव तथा कारकों पर सुझाव देना।
  - मेगा प्रोजेक्टों जैसे कि नदियों को आपस में जोड़नाद्ध इत्यादि जो लगभग 15–20 साल का समय ले लेते हैं तथा राज्यों का भरपूर सहयोग चाहते हैं में केन्द्र तथा राज्यों की भूमिका, जिम्मेंदारी तथा न्यायिक शक्ति की बारीक से जॉच ।
  - जिला स्तरों पर स्वतंत्र नियोजन तथा बजट को बढावा देने में केंन्द्र तथा राज्यों की भूमिका, जिम्मेदारी, न्यायिक शक्ति की जॉच।
  - आयोग ने "आपातकालीन उपबधों का स्थानीकरण" का सुझाव प्रस्तुत किया है। अनुच्छेद 355 व 356 के तहत पूरे राज्य की बजाय सिर्फ एक जिला या उसका कोई भाग ही गवर्नर शासन के अधीन किया जाए। ऐसे शासन का कार्यकाल भी 3 महीने से ज्यादा न हो।

- राज्यो में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। आयोग ने इस चुनाव पूर्व गठबंधन को एक पार्टी समझने की भी सिफारिश की है।
- आयोग ने हंग हाऊस;भ्नदह भ्वनेमद्ध की स्थिति में राज्यपाल द्वारा दिए जाने वाले आदेश का भी एक आर्डर ऑफ प्रिसीडेंस;व्तकमत व ि्तमबमकमदबमद्ध प्रस्तुत किया है–
- आयोग ने राज्यपालों की मनमानी बर्खास्तगी की भी कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि "राज्यपालों को राजनीतिक फुटबाल बनाने के प्रचलन को बंद कर देना चाहिए।
- आयोग ने अमेरिका के होमलैंड डिपार्टमैंट;भ्वउमसंदक क्मचजजण्द्ध की तर्ज पर राष्ट्रीय एकता परिषद को अतिरिक्त शक्ति हेतु एक व्अमततपकपदह ेजतनबजनतम की भी सिफारिश की है।
- आयोग ने राष्ट्रीय आर्थिक परिषद को संवैधानिक दर्जा देने की भी खिलाफत की है।

2004 से लेकर 2009 तक राष्ट्र की एकता, अखण्डता एवं सुरक्षा के लिए अनेक प्रयास हुए। कुछ घटनाऐं जिनमें केन्द्र तथा राज्यों ने अपने विवके का परिचय देते हुए अपने सम्बन्धों को सुदृढ़ करने हेतु गहराई से विचार–विमर्श किया।

केन्द्र राज्य संबंध पर क्षेत्रीय विचार विमर्श दिसम्बर 2008 को चण्डीगढ़ में हुआ जिसमें एकीकृत घरेलु बाजार, केन्द्र से राज्यों को निधि अन्तरण की प्रक्रिया, स्थानीय सरकार तथा प्रशासनिक संबंध आदि प्रमुख केन्द्र बिन्दु रहे।

केन्द्र राज्य संबंध पर जनवरी 2009 को भुवनेश्वर में क्षेत्रीय विचार विमर्श हुआ जिसके केन्द्र बिन्दु नक्सलवाद से लड़ने में केन्द्र राज्य सहयोग, पर्यावरणीय बाधाओं से पार पाने के लिए केन्द्र राज्य सहयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा, भूमि तथा कृर्षि रहे।

प्रथम आम चुनाव 1950 के बाद से 1990 तक के केन्द्र राज्य संबंध के परिपेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि ये उतार चढ़ाव चलते रहे है हालांकि 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुर्नगठन से विश्वास पैदा हुआ था कि भारत लोकतांत्रिक वातावरण में काम करता रहेगा। जिसका मुख्य कारण नेहरू जी का चमत्कारिक नेतृत्व था। भारतीय संघवाद 1967 के आम चुनाव से पहले एक दल प्रधान (कांग्रस) होने के कारण अधिक सहजता से कार्य करता रहा लेकिन 1967 में केरल में गैर–कांग्रेसी सरकार बनी तथा 1972 के चुनाव के बाद को अधिक दबाव के अन्दर कार्य करना पडा था।

जिसके कारण कांग्रेसी द्वारा राष्ट्रीय सरकार तथा विकल्प की अनुपस्थिति में राज्यों में गैर–कांग्रसी सरकारों को बार–बार अपदस्थ करना आम बात हो गयी या उनके साथ पक्षपात या असहयोग करना आरम्भ हो गया। इन्दिरा गांधी के आने पर शक्तिशाली केन्द्र की पुनः स्थापना के प्रयास स्वरूप पर प्रतिकूल प्रभाव पडा तथा राज्य उग्र नीतियों का अनुसरण करने लगें 1977 के आम चुनाव में एक नवीन समीकरण जनता पार्टी का जन्म तथा कॉग्रेस का विभाजन हुआ जिसमें राज्यों में एक आशा की किरण दिखाई दी। लेकिन आपसी कलह के कारण जनता पार्टी इस समय कोई स्वस्थ परम्परा का निर्माण नहीं कर पायी ।1967 से 1971 का काल कमजोर केन्द्र और कमजोर राज्यों वाले संघ का चित्र प्रस्तुत करता है। अन्यथा यह काल गम्भीर टकराव का काल होता यदि राज्यों में स्थिर सरकारें होती या केन्द्र में कॉग्रेसी आन्तरिक संकट का शिकार नहीं होती।

1971–77 का काल एकात्मक संघवाद का युग कहा जाता है। जिसमें श्रीमती गाँधी सशक्त नेता के रूप में उभरी थी यह पुर्नस्थापना का काल था। 1980 के चुनाव में इन्द्रिरा गाँधी ने भारी जीत के साथ देश के अधिकांश राज्यों में पुनः कांग्रेस नेतृत्व में आयी जिसनें राज्यों को अपने नियंत्रण में रखा गया।

राजीव गाँधी सरकार ने दिसम्बर 1987 में भिन्न–भिन्न क्षेत्रों से जिला मजिस्ट्रेटो को व जिला अधिकारियों के सम्मेलन बुलाये। ये प्रयास वास्तव में उस व्यवस्था में लौटने के प्रयास में जो वास्तव में वैधानिक थी। 1989 के चुनाव के बाद राष्ट्रीय मोर्चो ने 71 सूत्री कार्यक्रम में विकेन्द्रीकरण तथा राज्यों की स्वायत्ता के प्रति निष्ठा व्यक्त की सत्ता में आने के उपरान्त 1990 में अन्तर्राज्यीय परिषद का गठन किया तथा राष्ट्रीय विकास परषद का विस्तार किया गया।

गठवंधन की राजनीति में क्षेत्रीय दलो की प्रमुखता

नवी लोकसभा चुनाव में किसी दल को पुर्ण बहुमत नहीं मिला लेकिन कांग्रेस सबसे बडे दल के रूप में अभरी थी लेकिन वी.पी. सिंह सरकार गठबंधन के परिणाम स्वरूप सरकार बना सकी। लेकिन राष्ट्रीय मोर्चो के प्रमुख घटक दल जनता दल में गहरी गुटबंधी और उत्तार चढाव के बीच सरकार में सामंजस्य व सहयोग की स्थिति नहीं रही इसलिए राष्ट्रीय सरकार अहसाय नजर आने लगी। तथा जनता दल (स) की केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यपालों को मनमाने ढंग से पदच्युत करने की संघ वादी मूल धारणा को आघात पहुँचा था। वी.पी. सिंह सरकार ने 15 राज्यपालों को त्याग पत्र देने के लिए बाध्य किया तथा प्रधानमंत्री चन्दशेखर ने भी इसी नीति का अनुसरण किया था।

दसवी लोकसभा चुनाव में काग्रेस ने 511 में सें 220 स्थान प्राप्त करके गठबंधन से वी.पी. नरसिंह राव को प्रधानमंत्री बनाया इस सरकार ने राजनीतिक दलो व राज्य सरकारो से व्यापक विचार विमर्श करके आम सहमति से कार्य किया हालांकि 6 दिसम्बर 1992 के अयोध्या मामले के अन्दर इसमें भाजपा शासित में राष्ट्रपति शासन लागू करके उन्हे अपदस्थ कर दिया। 1996 के चुनाव के बाद केन्द्र में गैर–कॉग्रेसी दलो की साझा सरकारें अस्तित्व में आयी इन के गठबंधन में क्षेत्रीय राजनीतिक दलो की निर्णायक भूमिका रही लेकिन इन क्षेत्रीय गठबंधन के गलत स्वार्थ के कारण संघ सत्ता कमजोर हो गयी इसका उदाहरण देवगोंडा, गुजराल, तथा अटल विहारी वाजपेय सरकारों कुछ समय में भंग होना यही सिद्ध करता है।

1996 से 2004 के मध्य संघ सरकारे क्षेत्रीय दलो की कृपा पर निर्भर रहीं जिससे उनका राज्यों पर नियंत्रण कमजोर हो गया तथा समस्त राजनैतिक परिदृश्य में संघीय व्यवस्था की दिशा बदल गई। आन्तरिक अन्तविरोध के कारण केन्द्र सराकर कमजोर होती गई और राज्य सरकारे शक्तिशाली हो गई। इन परिस्थितियों में "समाझौते की राजनीति का उदय हुआ। सामयिक राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए तृणमुल कांग्रेस जैसे 2–3 सदस्यों वाले दल ने सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दी।

14 वी लोकसभा चुनाव में 2004 के समय कॉग्रस पार्टी ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर साझा सरकार का निर्माण किया इस सरकार में एक तरफ तो वाम पंथी दल जो हर मामले में अपना दबाव बनाते है। तथा दूसरी तरफ छोटे–छोटे दल जो अपने हितो की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाते रहें। उदाहरण के तौर पर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद के दबाव के कारण केन्द्र ने वहाँ राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जबकि यू.पी.ए. सरकार के अन्य घटक दल के नेता रामविलास पासवान इसका घोर विरोध करते रहे। राजनीतिक अस्थिरता के कारण गोवा राज्य में 4 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया इसके बाद गोवा में 2 जून 2005 को 5 विद्यानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए कांग्रेस के प्रताप सिंह राव के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ

फरवरी 2005 में बिहार में हुए आम चुनाव में किसी भी पार्टी को जनादेश प्राप्त नहीं हुआ इस कारण वहां विद्यानसभा को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जो नवम्बर 2005 में नवीन चुनाव के पश्चात हटाया गया नितिश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2009 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 250 स्थान से ऊपर प्राप्त कर बहुमत से 40 सीट दूर रह गयी लेकिन उसने दो दलो का समर्थन लेकर सरकार बनायी जिससे आशा की जा रही है कि सरकार अब अधिक स्वतंत्रता से कार्य कर पायेगी। इन परिस्थितियों में केन्द्र भी कमजोर था तथा राज्यो भी कमजोर, क्योंकि केन्द्र में साझा सरकार है तथा राज्यों में एकता व मतैक्य का अभाव है।

2014 के आम चुनावों के बाद एक बार फिर परिस्थितियॉ बदली । यद्यपि गठबंधन की राजनीति की समाप्ति नहीं हुई फिर भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व बी. जे. पी. को स्पष्ट बहुमत मिला जिससे क्षेत्रीय दलो की सौदे बाजी वाली स्थिति नहीं रहीं। इस सौदेबाजी में माँगने वाले तथा देने वाले भी एक ही लोग है अर्थात राज्यों में सत्ता रूढ़ दल जो अधिक शक्ति की मांग कर रहे है, वही केन्द्र में सरकार के घटक दल भी हैं। एम. पी. सिंह लिखते है कि घटक दलो के मंत्री भी मोदी जी के पीछे 'Meekly fall in line' रहते है।

इसी संदर्भ रूप में भारतीय संघीय व्यवस्था संविधान और संविधान निर्माताओ की विपरित दिशा में विकसित हो रही है। यदि विकट समय मे सुसंगठित राष्ट्रीय दलो का विकास नहीं हुआ तो भारतीय संघ ढीले संघ में परिवर्तित हो जाएगा। इस कमजोर स्थिति में केन्द्र सरकार राज्यों के कैसे नियंत्रित कर सकती है। राज्य तथा केन्द्र में दलीय समरूपता एकतात्मकता के तत्वों को प्रबल करती है। वहीं दलीय बहुरूपता से राज्य प्रबल हो जाते है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. रिपोर्ट, केन्द्र राज्य संबंध, पुंछी आयोग 2007
2. द ट्रिब्यून, 25 नवम्बर 2005
3. क्षेत्रीय संगोष्ठी, केन्द्र राज्य सम्बन्ध, 10–11 दिसम्बर 2008, चण्डीगढ़
4. क्षेत्रीय संगोष्ठी 20–21 जनवरी 2009, भुवनेश्वर
5. द हिन्दुस्तान टाइम्स, 10 दिसम्बर 2006
6. निजी सुरक्षा ऐजेंसी अधिनियम, 2005
7. जैन. डी. बी. :– केन्द्र राज्य सम्बन्ध
8. गोयल, ओ. पी. :– इण्डियन गवर्नमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स लाइट एण्ड लाइट पब्लिशर्स,नई दिल्ली 1997
9. संथानम, के. :– "युनियन स्टेट रिलेशन्स इन इण्डिया" एशिया पब्लिशिंग हाउस बॉम्बे, 1963
10. डॉ सिघवी एल.एम.:–"यूनियन स्टेट रिलेशन्स इन इण्डिया" दी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्टिट्युशनल एण्ड पार्लियामेंटरी स्टडीज, नई दिल्ली,1969
11. गुप्त,डी.सी. :–"इण्डियन गवर्नमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स" विकास पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1972
12. जैन, एस.एन. :–"दि यूनियन एण्ड दि स्टेट्स" नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, 1972
13. परांअपे, एच.के. :–"सेन्टर स्टेट रिलेशन्स इन प्लानिंग" दि युनियन एण्ड स्टेट्स पूर्वोक्त,1973
14. व्हेअर, के. सी. :–"फेडरल गवर्नमेन्ट" आक्सफोर्ड यूनियन प्रेस लन्दन, 1963
15. जेनिंग्स,आइवर :–सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इण्डियन कॉस्टिट्युशन" आक्सफोर्ड प्रेस लन्दन, 1953
16. जौहरी, जे.सी. :–"इंडियन गवर्नमेंट एण्ड पॉलिटिक्स" विशाल पब्लिकेशन, 1974
17. जैन एच.एम. :–"दि यूनियन एक्जिक्युटिव" चैतन्य प्रकाशन इलाहाबाद, 1969
18. वीनर, मायरन :–"दि 1971 एलेक्शंस एण्ड इंडियन पार्टी सिस्टम" एशियन सर्वे, दिसम्बर, 1971
19. कश्यप, सुभाष :–"पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन" नेशनल दिल्ली, 1969
20. सेठी, जे. डी. :–"इण्डियन स्टेटिक पावर स्टूक्चर" विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1969
21. कृष्ण, बाल :– संघ राज्य संबंध–विकास एवं उपचारः" सवैधामिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली, 1984
22. पुखराज एण्ड फाडिया :–"भारतीय शासन एवं राजनीति" साहित्य भवन आगरा
23. सिंह वीरकेश्वर प्रसाद :– भारतीय शासन एवं राजनीति" ज्ञानदा प्रकाशन पटना, 1976
24. जैन धर्मचन्द :– "भारतीय संघ में केन्द्र –राज्य संबंधों का उभरता हुआ स्वरूप" संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली, 1974
25. नारायण इकबाल :–"भारतीय शासन एवं राजनीति" राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 1974
26. शर्मा पी.डी. ग्रोवर.बी एल. :–"भारतीय में लोक प्रशासन" राजस्थान हिन्दी ग्रथ अकादमी, 1978

❖◆❖